उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या–1330–कार्य / चौदह–पाकालि / 2024 / 138–के–2011 / निदेशक(वाणिज्य) दिनांकः 10.07.2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा विकास प्राधिकरणों, प्राईवेट निर्माताओं, प्रमोटर्स, कालोनी निर्माता, संस्थानों एवं व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा विकसित किये जाने वाले बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में विद्युत संरचना (Electrical Infrastructrue) के लिए भार स्वीकृति अथवा अतिरिक्त भार स्वीकृति हेतु तथा व्यक्तिगत आवेदकों को नये संयोजनों की भार स्वीकृति अथवा भार वृद्धि हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1.(A) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी

a) बहुमंजिला भवन से अभिप्राय बेसमेंट (किसी भवन का वह भाग जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जमीनी स्तर से नीचे हो) को छोड़कर चार मंजिल से अधिक मंजिलों (भूतल सहित) वाले भवन से है, परन्तु Stilt Floor (भूतल पर चारों ओर से खुला स्थान जहाँ आमतौर पर पार्किंग सहित एक जनरेटर कक्ष, स्विच रूम आदि होते हैं) मंजिलों की गिनती में सम्मिलित होगा।

b) समस्त घरेलू, गैर–घरेलू बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में निजी स्वामियों अथवा निवासियों को विद्युत आपूर्ति हेतु नये संयोजन, बहु–बिन्दु (multi-point) पर ही अवमुक्त किये जायेंगे।

c) मल्टीप्लेक्स, वैवाहिक हॉल एवं सेन्ट्रलाइज्ड एयरकन्डीशन्ड भवनों में एकल बिन्दु (single-point) पर भी संयोजन दिया जा सकता है।

d) इस कार्यालय ज्ञाप हेतु विद्युत संरचना (Electrical Infrastructrue) का अर्थ अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के विद्युत उपकेन्द्र (220 / 132 / 33 KV अथवा 33 / 11 KV अथवा 11 / 0.4 KV) से व्यक्तिगत भवन स्वामी के परिसर तक समस्त विद्युत संरचना से है।

(B) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructrue) भार स्वीकृति हेतु आवेदन की प्रक्रियाः–

a) घरेलू, गैर–घरेलू बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में विद्युत संरचना के भार की स्वीकृति हेतु आवेदक अर्थात् विकासकर्ता द्वारा स्वयं अथवा उचित अधिकार पत्र सहित अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन डिस्काम के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट : अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह नामित व्यक्ति होता है जिसे किसी पंजीकृत सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी (LLC), हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) अथवा कंपनी की ओर से, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया हो।

b) विकासकर्ता अथवा विकासकर्ता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन के साथ निम्न स्वः प्रमाणित (Self Attested) प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे–

(i) अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के प्रकरण में समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति के नाम पर प्राधिकार–पत्र।

(ii) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी का सम्बन्धित विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित मानचित्र

अथवा

पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित मानचित्र

अथवा

प्रमाणित मानचित्र के अभाव वाले प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वः प्रमाणित मानचित्र।

(iii) नोटराइज्ड शपथ–पत्र जिसमें आवेदक द्वारा निम्न वर्णन किया जायेगा कि :–

- आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वः प्रमाणित मानचित्र में जो भी निर्मित क्षेत्रफल (Constructed Area) दर्शाया गया है, उससे अधिक का निर्माण नहीं कराया जायेगा। यदि कभी यह पाया जाता है कि अधिक क्षेत्रफल का निर्माण किया गया है, उस स्थिति में विकासकर्ता आवश्यक विद्युत संरचना (अतिरिक्त भार हेतु) बनाने के लिये उत्तरदायी होगा।
- सक्षम प्राधिकरण की आपत्ति अथवा विध्वंस हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी एवं इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा तथा वह किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा सामग्री की वापसी का दावा नहीं कर सकेगा।
- आवेदक द्वारा लाईसेंसी के आपूर्ति बिन्दु से इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर तक की विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) को बिना किसी भुगतान या किसी प्रकार के व्यय की वापसी का दावा किये, डिस्काम को हस्तान्तरित किया जायेगा।
- विद्युतीकरण हेतु आवेदित भू–भाग अथवा स्थान पर वर्तमान में विद्युत देय का कोई बकाया नहीं है। यदि कोई विद्युत बकाया भविष्य में संज्ञानित होता है, तो उसका भुगतान शपथकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- इनकमिंग सप्लाई बिन्दु के पश्चात् समस्त आन्तरिक वायरिंग में तथा आन्तरिक प्रणाली में कमी अथवा उत्पन्न दोष निवारण हेतु अनुरक्षण कार्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- खराब होने पर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण/बदलने का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- बस बार, वितरण बक्सों एवं मीटर कक्ष का सुचारू रूप से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड (Electrically Insulated) होना तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित करने का दायित्व शपथकर्ता का होगा।

(iv) विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) का सिंगल लाइन डायग्राम (SLD) जिसमें प्रत्येक सामग्री की संख्या, मात्रा, टेक्नीकल स्पेसीफिकेशन (Technical Specifications) और क्षमता आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। विद्युतीकरण के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक सामग्री डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित गारंटीड टेक्नीकल पर्टीकुलर्स (Guaranteed Technical Particulars-GTP) के अनुसार ही होनी चाहिए।

(v) बस बार के प्राविधान तथा रेफरेन्स मीटर के स्थान सहित बहु बिन्दु आपूर्ति के लिये विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) का विस्तृत प्लान।

(vi) भार के अनुरूप प्रक्रमण शुल्क (Processing fee) तथा ड्राइंग अनुमोदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा वितरण खण्ड के बैंक खाते में (यू0पी0आई0, इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड अथवा काउन्टर जमा पर्ची के माध्यम से) जमा करने का साक्ष्य।

(vii) विद्युत संरचना में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का क्रय एस्टीमेट, मेक एवं परिवर्तकों की गारण्टी डिस्काम को उपलब्ध कराने तथा निर्दिष्ट कार्यों का सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर हस्तान्तरित होने तक कार्यस्थल पर उपलब्ध लाइनों और परिवर्तक आदि के समुचित रख–रखाव हेतु सहमति पत्र।

(viii) भूमि के स्वामित्व, पट्टा–विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा वैध अधिग्रहण से सम्बन्धित दस्तावेज।

(ix) आवेदक द्वारा पूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन चार्ज जमा कर स्वयं विद्युतीकरण कराने का स्पष्ट उल्लेख आवेदन के समय ही किया जायेगा। पूर्ण जमा योजना में प्राक्कलन धनराशि जमा करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब की स्थिति में भी आवेदक सुपरविजन चार्ज जमा कर स्वयं विद्युतीकरण करा सकता है, ऐसी स्थिति में डिस्काम द्वारा आवेदक को सुपरविजन चार्ज व जी0एस0टी0 (GST) के अतिरिक्त प्राक्कलन की शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। सुपरविजन चार्ज जमा कर आवेदक द्वारा स्वयं विद्युतीकरण का कार्य डिस्काम में सूचीबद्ध (Empanelled) ठेकेदार से ही कराना होगा।

(C) विद्युत भार का आंकलन व स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाहीः–

a) निर्मित क्षेत्र (Constructed Area) की गणना निम्नवत् की जायेगीः–

(i) कालोनी	प्लाट एरिया X एफ0ए0आर0 (FAR) (दोनों आंकडे उपलब्ध कराये गये मानचित्र अनुसार)
(ii) घरेलू/गैर घरेलू बहुमंजिला भवन	उपलब्ध कराये गये मानचित्र अनुसार

(i) प्लाट एरिया से आशय कॉलोनी में रोड, पार्क आदि को छोड़कर भवन निर्माण हेतु उपलब्ध एरिया से है तथा एफ0ए0आर0 (फ्लोर एरिया रेशियो) इंगित करता है कि किसी भू–भाग पर कितना निर्माण किया जा सकता है।

(ii) निर्मित क्षेत्र की गणना में कार पार्किंग, सीढ़ी तथा बालकनी के क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र ही आंकलित होगा। पानी की टंकी व छज्जा प्रोजेक्शन का क्षेत्र निर्मित क्षेत्र की गणना में सम्मिलित नहीं होगा।

(iii) यदि स्वीकृत प्लान के अनुसार एक ही परिसर में दो या उससे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र की गणना में सभी भवनों के निर्मित क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा।

b) विद्युत भार का आंकलन निम्न मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा (विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के संलग्नक 4.6 के अनुसार) :–

(i) भार =निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी0)X[0.5(घरेलू हेतु) या 1.5(गैर घरेलू हेतु)]/10Xडायवर्सिटी फैक्टर KW

(ii) घरेलू – 500 वाट प्रति 10 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र या अपेक्षित भार, जो भी अधिक हो।

(iii) वाणिज्यिक – 1500 वाट प्रति 10 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र या अपेक्षित भार, जो भी अधिक हो।

(iv) अधिकतम भार की गणना हेतु विविध कारक (डायवर्सिटी फैक्टर) निम्नवत् हैंः–

घरेलू क्षेत्र	–	0.50
गैर घरेलू क्षेत्र	–	0.75

(v) उक्त भार में लिफ्ट की मोटर, जलापूर्ति की मोटर, स्ट्रीट लाइट, यदि कोई हो, कॉरिडोर, कैम्पस लाइटिंग एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का वास्तविक भार जोड़ा जायेगा।

(vi) भार की गणना में उपरोक्त बिन्दु सं0 (v) में लिये गये क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(D) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) भार की स्वीकृति हेतु अधिकारियों को निम्नवत् अधिकार प्रदान किये जाते हैंः–

क्र0सं0	स्वीकर्ता अधिकारी	भार स्वीकृति अधिकार (KW/KVA)
(i)	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	3,600 KW अथवा 4,000 KVA तक
(ii)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	3,600 KW अथवा 4,000 KVA से अधिक

(E) प्राक्कलनः–

a) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) हेतु भार स्वीकृति के साथ ही सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा विद्युत संरचना (लाईसेंसी के आपूर्ति बिन्दु से इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर तक) के सिंगल लाइन डायग्राम की स्वीकृति भी प्रदान की जायेगी, तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा।

b) विद्युत संरचना के विकास अथवा विस्तार हेतु प्राक्कलन में आंकलित विद्युत भार के समरूप या समकक्ष मानकीकृत अथवा विद्युत वितरण निगम द्वारा क्रय की जा रही क्षमता के उपकरणों एवं सामग्री का ही प्राविधान किया जायेगा। किसी भी दशा में ये उपकरण वितरण निगम द्वारा प्रयुक्त उपकरणों से निम्न मानक व गुणवत्ता के नहीं होंगे।

c) ऊर्जा खपत एवं ऊर्जा ह्रास की समुचित गणना हेतु निम्न स्थानों पर मीटर स्थापित किये जायेंगेः–
   (i) HT विभव की इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर।
   (ii) प्रत्येक ट्रांसफार्मर की LT साईड पर।

d) 11 KV अथवा उससे अधिक विभव पर इनकमिंग सप्लाई तथा ट्रांसफार्मर की LT पर उचित क्षमता के सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य होगा, तथा इसका सम्पूर्ण व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

(F) प्राक्कलन का भुगतानः–

a) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्गत **नियम व शर्तों** (Terms & Conditions) के सापेक्ष देय धनराशि का भुगतान विकासकर्ता द्वारा अधिकतम 90 दिनों में किया जायेगा।

b) विकासकर्ता द्वारा ही विद्युत संरचना के विकास हेतु सम्पूर्ण व्यय वहन किया जायेगा। यदि विकासकर्ता स्वयं फीडर का निर्माण कराना चाहता है तो उसे नियमानुसार सुपरविजन चार्ज जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जायेगी। निर्माण हेतु आंकलित व्यय का शत प्रतिशत प्राप्त होने पर ही डिस्काम द्वारा निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(G) निर्माण कार्य हेतु अस्थायी विद्युत संयोजनः–

a) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी के निर्माण कार्य के लिए आवेदक अस्थायी संयोजन के लिये पृथक आवेदन करेगा। यह अस्थायी संयोजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम चरण में अधिकतम दो वर्ष के लिए स्वीकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य में अधिक समय लगने की स्थिति में स्वीकृत समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही अस्थायी संयोजन की अवधि विस्तार हेतु प्रार्थना–पत्र देना होगा।

b) अस्थायी संयोजन का भार कुल विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) हेतु आगणित भार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा यह अस्थायी संयोजन मीटर लगाकर ही अवमुक्त किया जायेगा।

(H) बहुमंजिला भवनों, कालोनी में बहुबिन्दु संयोजनः–

a) प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदक (Individual Applicant) द्वारा आवेदन सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी तथा संयोजन हेतु आवश्यक धनराशि (प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति धनराशि, मीटर का मूल्य, लाइन चार्ज आदि) का भुगतान करना होगा।

b) प्रत्येक भावी उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार संयोजन निर्गत किया जायेगा। इस संबंध में कोई टेक्नीकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट (TFR) की आवश्यकता नहीं होगी।

c) विकासकर्ता अथवा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा मिश्रित/कॉमन सुविधाओं के संयोजन हेतु पृथक आवेदन व भुगतान किया जायेगा।

d) बहुमंजिला भवनों में सभी इनर्जी मीटर भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेंगे। मीटर लगाने के लिये विकासकर्ता द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

(I) विद्युत प्रणाली को डिस्काम को हस्तान्तरित करने के पश्चात विकासकर्ता, विकास प्राधिकरण , RWA आदि के दायित्वः–

a) आन्तरिक वायरिंग तथा आन्तरिक प्रणाली में कमी अथवा उत्पन्न दोष निवारण हेतु अनुरक्षण कार्य करना।

b) खराब होने पर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण/बदलना।

c) बस बार, वितरण बक्सों एवं मीटर कक्ष का सुचारू रूप से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड (Electrically Insulated)
होना तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित करना।

2. व्यक्तिगत आवेदन (Individual Application):–

a) व्यक्तिगत आवेदक (Individual Applicant) को नये संयोजन हेतु भार स्वीकृत करने अथवा विद्यमान संयोजनों पर भार वृद्धि करने हेतु अभियंताओं को निम्नवत् अधिकार प्रदान किये जाते हैः–

क्र0सं0	अभियंता का पदनाम	विधा	भार स्वीकृति अधिकार
(i)	अवर अभियंता (वि0)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	04 KW तक
(ii)	उपखण्ड अधिकारी अथवा सहा0अभि0 (वि0)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	05–25 KW तक
		अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान (LMV-2 & LMV-4) व अन्य समस्त विधा	25 KW तक
		निजी नलकूप (LMV-5)	25 HP तक
(iii)	अधिशासी अभियंता(वि0)	समस्त विधा	25 KW से अधिक तथा 3,600 KW (4,000 KVA)तक
(iv)	अधीक्षण अभियंता (वि0)	समस्त विधा	3,600 KW (4,000 KVA) से अधिक

b) व्यक्तिगत आवेदक द्वारा नये संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन झटपट, निवेश मित्र अथवा पी0टी0डब्ल्यू0 (P.T.W) पोर्टल पर किया जायेगा।

3.(a) ट्रांसफार्मर की क्षमता तथा आवेदित भार के निर्धारण हेतु KW से KVA में परिवर्तन पावर फैक्टर 0.90 के आधार पर किया जायेगा।

(b) विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड 3.3(घ) में वर्णित है कि अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संहिता के खण्ड 3.2 में निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न विभव (Voltage) और फेज (Phase) पर आपूर्ति कर सकता है। **अतः निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न विभव, फेज पर संयोजन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता (वितरण) द्वारा समुचित परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जा सकेगी।**

(c) 33 के0वी0 व उच्च विभव पर विद्युतीकरण अथवा संयोजन हेतु टेक्नीकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TFR) तथा प्राक्कलन पारेषण इकाई से प्राप्त करने होगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्याः–1330–कार्य/चौदह–पाकालि/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0. लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
8 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9 मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) समस्त डिस्काम।
10 मुख्य अभियन्ता (वितरण) समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
11 अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/कार्य/भण्डार) समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
12 अधिशासी अभियन्ता (वितरण) समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
13 समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14 अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15 कट फाइल।

(सदानन्द)
संयुक्त सचिव
(ज0श0 प्रशि0 एवं कार्य)